काम के अनुसार मजूरी देना

*354. **श्री विभूति मिश्र :** क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मजदूरों को उनके काम के अनुसार मजूरी देने की कोई योजना बना रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी): (क) और (ख). चूंकि परिस्थितियां एक उद्योग में दूसरे उद्योग से भिन्न है, इसलिए इस प्रयोजन के लिए कोई विशिष्ट योजना नही बनाई गई है। तथापि उजरती दर प्रणाली, जिसके अन्तर्गत श्रम को किए गए काम से जोड़ा जाता है, पहले से ही कई उद्योगों, प्रतिष्ठानों में चालू है।

Maintenance of 'Set on and set off' Accounts by Indian Tobacco Company Ltd., Saharanpur

*355. PROF. MADHU DANDAVATE: Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether the Indian Tobacco Company Ltd., Saharanpur (U.P.) has failed to maintain the 'Set on' and 'Set off' Accounts as required by the Payment of Bonus Act;

(b) whether the said Company has adopted 'Calendar Year' instead of the 'Financial Year' for the payment of Bonus with a view to circumvent for real profits earned by the said company; and

(c) if so, what setps are taken to ensure the effective implementation of the Payment of Bonus Act?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI RAGHUNATHA REDDY): (a) to (c). The subject matter primarily falls in the State sphere. Information which is within the jurisdiction of the State Government, is however being collected.

काम के अधिकार को मूलभूत अधिकार के के रूप में मानना

*356. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि ·

(क) क्या गत 9 फरवरी को दिल्ली में अभिलेखों की एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करते समय काम के अधिकार को मूलभूत अधिकार बनाए जाने का आग्रह किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी): (क) क्या माननीय सदस्य का आशय सभवत: भारत के राष्ट्रपति द्वारा 9 फरवरी, 1973 को राष्ट्रीय अभिलेखागार में स्वतन्त्रता सन्ग्राम से सम्बन्धित प्रलेखों की प्रदर्शनी का उदघाटन करते समय दिए गए भाषण से है। राष्ट्रपति ने अपने भाषण में कहा कि —

> "रहने और काम पाने का अधिकार प्रत्येक नागरिक के लिए मौलिक और मूलभूत है। हम अपने संविधान तथा अपनी प्रतिज्ञाओं द्वारा इन अधिकारों को अपनी साधारण जनता के लिए वास्तविक बनाने के लिए वचनबद्ध हैं।"